देश-समाज | रिपोर्ट

आदिवासी युवक के गुप्तांग में डाला पेट्रोल, सद्दाम, आदिल सहित 4 ने बेरहमी से पिटाई के बाद घटना को दिया अंजाम: इंदौर प्रशासन को NCST का नोटिस, माँगी रिपोर्ट

15 July, 2022

ऑपइंडिया स्टाफ़

इंदौर में आदिवासी युवक को 4 मुस्लिमों (बाएँ) द्वारा पीटने की घटना में NCST ने लिए संज्ञान

1461

मध्य प्रदेश के इंदौर (Indore, Madhya Pradesh) के आदिवासी युवक पंकज को 4 मुस्लिम युवकों द्वारा बाँध कर मारने और उसके गुप्तांग में पेट्रोल डालने के प्रकरण में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने संज्ञान लिया है। आयोग ने इंदौर के DM और कमिश्नर को नोटिस देते हुए इस मामले में अब तक हुई कार्रवाई की पूरी जानकारी 3 दिनों के अंदर भेजने के लिए कहा है। आयोग ने यह नोटिस 14 जुलाई 2022 (गुरुवार) को जारी की है।

नोटिस भेजने के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग ने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट का हवाला दिया है। इस नोटिस में जारी निर्देश के अनुसार, “प्रेस क्लिपिंग का आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया है। अब आयोग अपने स्तर से इस मामले की जाँच करवाएगा। 3 दिनों के अंदर आरोपितों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट हमें प्रस्तुत करें।” इस रिपोर्ट में आरोपितों पर कार्रवाई के साथ पीड़ित को आर्थिक सहायता और अन्य सहूलियतों पर भी जानकारी माँगी गई है।

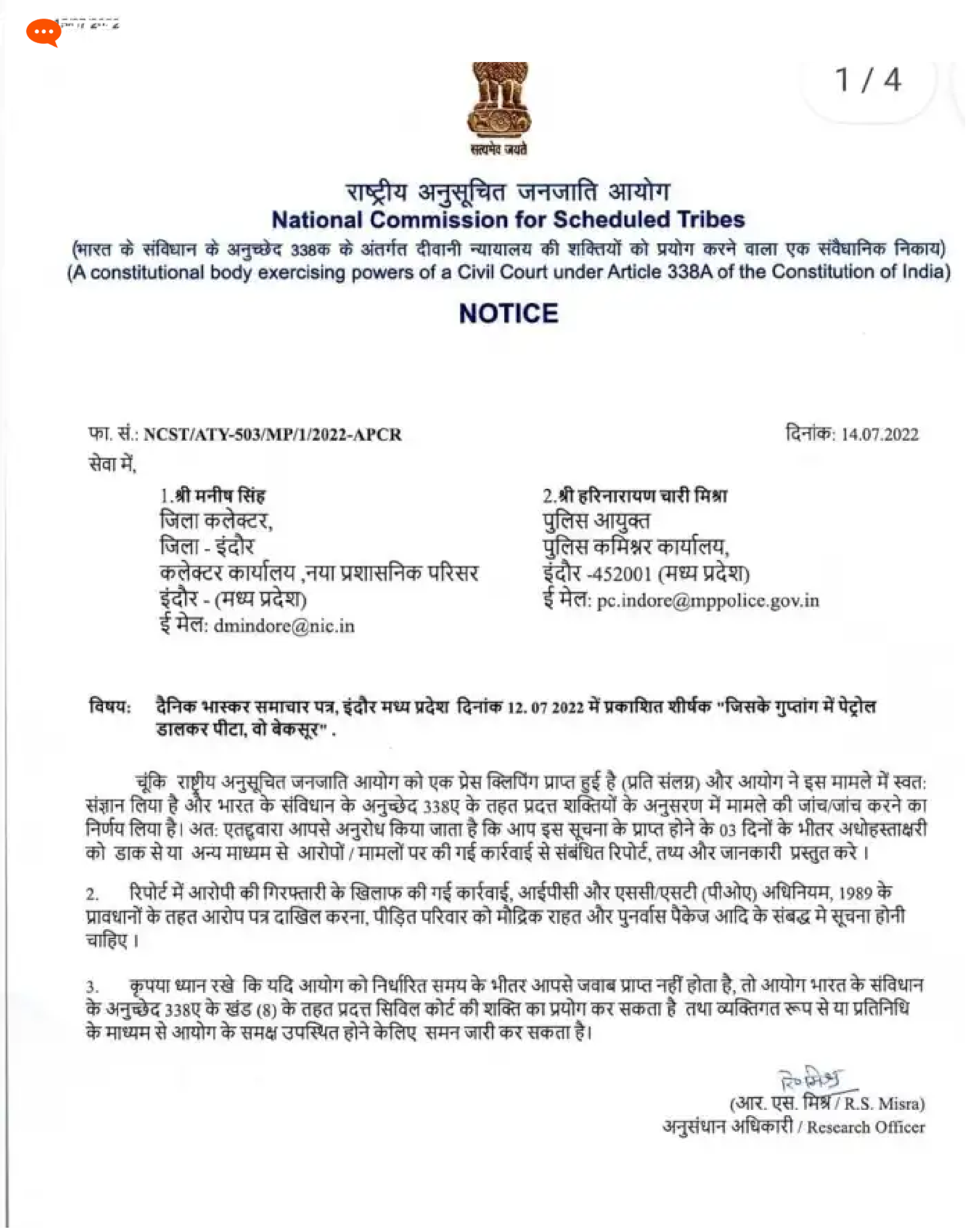

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/ATY-503/MP/1/2022-APCR दिनांक: 14.07.2022

सेवा में,

1.श्री मनीष सिंह
जिला कलेक्टर,
जिला - इंदौर
कलेक्टर कार्यालय ,नया प्रशासनिक परिसर
इंदौर - (मध्य प्रदेश)
ई मेल: dmindore@nic.in

2.श्री हरिनारायण चारी मिश्रा
पुलिस आयुक्त
पुलिस कमिश्नर कार्यालय,
इंदौर -452001 (मध्य प्रदेश)
ई मेल: pc.indore@mppolice.gov.in

विषय: दैनिक भास्कर समाचार पत्र, इंदौर मध्य प्रदेश दिनांक 12. 07 2022 में प्रकाशित शीर्षक "जिसके गुप्तांग में पेट्रोल डालकर पीटा, वो बेकसूर" .

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को एक प्रेस क्लिपिंग प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338ए के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मामले की जांच/जांच करने का निर्णय लिया है। अत: एतद्द्वारा आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप इस सूचना के प्राप्त होने के 03 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या अन्य माध्यम से आरोपों / मामलों पर की गई कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट, तथ्य और जानकारी प्रस्तुत करे ।

2. रिपोर्ट में आरोपी की गिरफ्तारी के खिलाफ की गई कार्रवाई, आईपीसी और एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दाखिल करना, पीड़ित परिवार को मौद्रिक राहत और पुनर्वास पैकेज आदि के संबद्ध मे सूचना होनी चाहिए ।

3. कृपया ध्यान रखे कि यदि आयोग को निर्धारित समय के भीतर आपसे जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338ए के खंड (8) के तहत प्रदत्त सिविल कोर्ट की शक्ति का प्रयोग कर सकता है तथा व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने केलिए समन जारी कर सकता है।

(आर. एस. मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer

नोटिस

FIR में IPC की धारा 307 जोड़ने और NSA लगाने की माँग

पंकज की निर्ममता से हुई पिटाई और उनके साथ हुए अमानवीय अत्याचारों के खिलाफ हिन्दू संगठनों ने राज्य के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया है। हिन्दू संगठन आरोपितों के खिलाफ दर्ज FIR में धारा 307 बढ़ाने के साथ सभी आरोपितों पर NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत कार्रवाई की माँग कर रहे हैं।

क्या है पूरा मामला

बकरीद के दिन 9 जुलाई 2022 को नाज़िम अपने किराएदार पंकज को बकरा खरीदने के बहाने बाजार ले गया। उसके साथ आदिल भी था। ये लोग एक मकान में गए, जहाँ सद्दाम और सलमान पहले से मौजूद थे।

इसके बाद उन लोगों ने पंकज को बेरहमी से पीटा और उसके गुप्तांग में पेट्रोल डाल दिया था। इस दौरान इन सभी ने आदिवासियों को चोर जैसे आपत्तिजनक शब्द बोले थे। इसके बाद इन्होंने किसी को न बताने की धमकी देकर पंकज को छोड़ दिया था।